

कार्यालय ग्राम पंचायत - महाराष्ट्र
 विकास खण्ड - जननिधि
 जानपद - झारीपुर
 ग्राम

दिनांक २५/०५/२३

विषय:- जल जीवन मिशन (इस घर पाल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की उंची को निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मतान्वय

अवगत गतराता है कि दिनांक २५/०५/२३ को प्रातः १०:०० बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों की शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बेटक की गयी। ये उक्त त्रिपाल पंचायत के सभी वार्ड भादर, लेखपाल, प्राथमिक/जूँहाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, औंगनबाडी कार्यकर्ता/गतांशिका, कोटंदार, ए०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बेटक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्वाचित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की राहमति दी गयी है। परिवार के गुणिया द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुरार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना एवं नियासप्रयोग तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमत है।

अल: अनुरोध है कि कृपया यथार्थी ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु आवश्यक कार्गोही करने का काट चारें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित राहमति पत्र।

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत.....

वित्त

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)

ग्राम पंचायत-महार बुजर्ज
न्याय पंचायत-किशनपुरी
विकास खण्ड-जयनेवा
जिला-गाजीपुर
ग्राम प्रधान

सहायक विकास अधिकारी (प०)
जखनिया, गाजीपुर।



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय ने 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: ३१/८/१९७५ विषय:

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख:

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: जाहां लुजुरी

ग्राम पंचायत का नाम: जाहां लुजुरी

ब्लॉक का नाम: जाहां लुजुरी

जिला का नाम: हाजीपुर

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संघर्ष) मधेशी कुंडों को और (संघर्ष) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् घन्टे नियंत्रित गुणवत्ता + वाले..... एस.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 2.5. तक शामील परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनाव, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूचित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का 10%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रभाव पत्र पी.एच.इ.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. वीन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): फैपजल नवटहता सामीरी

समिति को बचा कहा जाता है: फैपजल नवटहता सामीरी

आव्याप्ति का नाम: अमरावती देवी

सिंग: भौमि

आयु:

*ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत*

प्रधान: अमरावती
ग्राम पंचायत-महार दुर्गा
न्याय पंचायत-हिमालयपुर
विकास चण्ड-जयनगर
जिला-नगरपुर

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi (U.P.)

III. सामान्य विवरण

6.

वर्षा	1066
सूख	134
प्रसू	155
पानी	508
पानी	102


वर्षा	1300
सूख	169
प्रसू	555
पानी	620
पानी	115

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 11.2 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण
-वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 48 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मध्यवर्ती संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): 650

9. कृषि फसल पैटन: _____

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 170 से 175 मि.11. स्थलाकृति (समतल, ढासान, आदि): समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें) हाँ13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें) हाँ

14.

अंगनबाड़ी	पानी की विद्युतीकृती	पानी की विद्युतीकृती	साइरकाट बाल्डोली	उपनिवास (हाँ/नहीं)
पानी की विद्युतीकृती				
पानी की विद्युतीकृती				



शानी की कूल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या" X दर: ५४.१८ के.एल.डी.
 मरवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: ३१.१६ के.एल.डी.
 मरवेशी कुंडों की आवश्यक संख्या: ३
 मध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या" X दर: ११.२ के.एल.डी.
 अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या" X दर: ५८ के.एल.डी.

पानी की आपरिं का इतिवाल

16. गैर में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता को सामान्य प्रवृत्ति:

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकिया, रेल गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। चौटा

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, सौत को गंजबूत करने का इतिवृत्त चाही ११

19. जल चयित्र रो

- पानी की गुणवत्ता
 20. फ़िल्टर परीक्षण किट / वायस का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित

तारीख: _____


21. सनिकृत निरीक्षण के लिए अभियानपाठ्यारोता ताराख्यः _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले

- का नाम (अवस्थिति): _____

कृपड़े धोने / स्त्रान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ नरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____



सोत स्थायित्व

24. भूजल सोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हैं/नहीं)

25. गाँव में उन भौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका काम्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: हालांकि की मरम्मत

गंदल जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदल जल (जल आपूर्ति का 65%): ५८:१७ के एल.डी.

अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: ५

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: ३

आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: ५

क्या अपरिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हैं/नहीं): हैं

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: ३५/ १०

यदि नहीं, तो गंदल जल प्रबंधन के बाइन से अन्य उपार्थों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस क्षेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूरी हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भूजलस्ट्रिंग बाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भूजल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- बाटर यिडी/सेब्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनो शीर ऊर्जा आधारित भी.डब्ल्यू.एस. औ एकान्त/आदिवासी बरित्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल सोत: ताकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना:

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि:

वह तारीख, जिस पर यह भूमि भी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा सौंप दी जाएगी:

योजना की तारीख: भारत सरकार का हिस्सा: राज्य का हिस्सा:

समुदाय का हिस्सा: व्यवित्रित घरेलू अंशदान:

वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: व्यवित्रित घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.:

VI. भेल-जौल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत निधि भेल-जौल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29. भेल-जौल योजना	भेल-जौल योजना	भेल-जौल योजना	भेल-जौल योजना
भेल-जौल योजना	भेल-जौल योजना	भेल-जौल योजना	भेल-जौल योजना
भेल-जौल योजना	भेल-जौल योजना	भेल-जौल योजना	भेल-जौल योजना
भेल-जौल योजना	भेल-जौल योजना	भेल-जौल योजना	भेल-जौल योजना
भेल-जौल योजना	भेल-जौल योजना	भेल-जौल योजना	भेल-जौल योजना



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निषि
एकीकृत बाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूग्री संसाधन विभाग	बाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृषि पुनर्जीवन, जल निकायी का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल अंडारों की मरम्मत, नदीनीकरण और जीर्णद्वार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल अंडारों का जीर्णद्वार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	बाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सहम-सिंचाई का प्रावधान, एकवीकरण से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन परिस्थितियों तंत्र का पुनर्जीवन, बॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मजबूत संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समय शिक्षा	मजबूत संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियों वड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियों अंतर्गत अवसंरचना	
जिला खनिज विकास निषि (डी.एम.एफ.)	राज्य		
एम.पी.एस.ए.डी.	सांखियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)		
एम.एस.ए.ए.ल.ए.डी.	राज्य	अंतर्गत अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्गत अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

आध्यक्ष का हस्ताक्षर: अमृता शर्मी

पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): _____

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का आध्यक्ष: पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. उनीता देवी
2. विनय देवी
3. नीतू देवी
4. सतीषा देवी
5. स्त्रीमा देवी

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

प्रधान... ३१८२१९१०
ग्राम पंचायत-महार बुजुर्ग
न्याय पंचायत-किशनपुर
विकास खण्ड-जखानयाँ
जिला-गाजीपुर

Concise
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
विंख्या-जखानयाँ, गाजीपुर

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P)